कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
2 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001

फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 2509 / XXV–12(1–5) / 2008 देहरादून : दिनांक 26 अक्टूबर, 2017

सेवा में,

सचिव
भारत निर्वाचन आयोग,
अशोक रोड, निर्वाचन सदन,
नई दिल्ली।

विषयः– **सूचना के अधिकार के अधिनियम, 2005 ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 4 / भा0नि0आ0 / आर0टी0आई0 / क्षे0 / पत्र / 16 / उ0अनु0–2 / उत्तरा0 / 2017266 दिनांक 17 अक्टूबर, 2017 के साथ श्री नवरोज, एडवोकेट निवासी मकान नं0–26 व्योम प्रस्थ जीएमएस रोड़ कंवाली, देहरादून द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना उत्तराखण्ड राज्य के समस्त लोक सूचना अधिकारी, समस्त जिला निर्वाचन कार्यालय को हस्तान्तरित की गई उनसे प्राप्त सन्दर्भित सूचना उत्तराखण्ड राज्य से निम्नवत् प्रेषित हैः–

A) The Total Number of FIRs that ware registered due to obstruction caused to general public and Traffic movement by the candidates and their rlly while	Nil
B) Total Number of bike rallies that were permitted by the Election Commission/Officials in the above mentioned election in Uttarakhand State-	B & C पर सम्बन्धित सूचना केवल लोक सूचना अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय देहरादून से प्राप्त हुई है, सम्बन्धित बिन्दु पर कुल 05 (पांच) पृष्ठ संलग्न प्रेषित हैं।
C) Total Number of bike rally that were permitted in the above mentioned election in Uttarakhand State-	
D) The Election Commission/Officials of Commission had the Knowledge about the fact that the place for filing of nomination to contest election for constituencies at district Dehradun was near the bigest Gov. Hosital of Dehradun i.e. Doon Hospital.	Nil

उक्त सन्दर्भित सूचना केवल जनपद ऊधमसिंह नगर से आतिथि तक प्राप्त नहीं हुई है । कृपया उक्तानुसार प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

B. S. Rawat
(बी0एस0रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

karki

कार्यालयः— जिला निर्वाचन अधिकारी देहरादून ।

कचहरी परिसर, देहरादून—248001

टेलीफोन / फैक्स न0 (0135)—2624216

संख्या 1127 / 25—10—5 / 2016 दिनांक 25, अक्टूबर 2017

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ,
उत्तराखण्ड, 2 सुभाष रोड ,
सचिवालय परिसर देहरादून।

विषय— सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2503 दिनांक 25.10.2017 के साथ संलग्न भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 4 / भा0नि0आ0 / आर0टी0आई / क्षे0 / पत्र / 16 / उ0अनु0—2 / उततरा0 / 2017 / 22 दिनांक 17.10.2017 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत ABCD बिंदुओं पर आज ही सूचना उपलब्ध कराने हेतु अवगत कराया है।

बिन्दू संख्या A व D से संबंधित सूचना इस कार्यालय में अभिरक्षित नहीं है।

बिन्दू संख्या B व C से संबंधित सूचना के 05 पृष्ठ संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:- 5 पृष्ठ

भवदीय,

लोक सूचना अधिकारी,
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
देहरादून।

कार्यालय रिटर्निंग ऑफिसर विधान सभा क्षेत्र 17–सहसपुर, देहरादून।

संख्याः 13339/अनु0/वि0स0क्षे0–17–सहसपुर/2016–17/ दिनांकः 23/01/17

विषयः– विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2017 के दृष्टिगत जनसभा/जुलूस/रैली इत्यादि के परिप्रेक्ष्य में विधि, व्यवस्था तथा शांति, सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

<u>अनुमति पत्र/आदेश</u>

श्री/सुश्री/श्रीमती– गौरव पुंडीर पुत्र/पुत्री/पति श्री/श्रीमती– रमेश पुंडीर .... सम्बद्ध– निर्दलीय प्रत्याशी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक– .... के क्रम में जनसभा/जुलूस/रैली इत्यादि की राजनीतिक दल /संगठन/व्यक्ति/प्रत्याशी (नाम लिखें) गौरव पुंडीर निर्दलीय प्रत्याशी .... के निर्वाचन प्रचार हेतु दिनांक 23/01/17 से 23/01/17 (समयः–10.00 Am से 2:00 Pm) तक क्षेत्र का नाम– सहसपुर (विकासनगर से कुल्हाल तक) विधान सभा क्षेत्र–17 सहसपुर हेतु अनुमति लाउडस्पीकर सहित/रहित निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

1. विद्युत विभाग, एफ0एस0ओ0 आदि से अग्नि सुरक्षा के संबंध में प्रमाण पत्र लिया जाये।
2. आयोजक कार्यकम के दौरान अपने वालिन्टियर्स की पर्याप्त व्यवस्था करेंगे।
3. आयोजक कार्यक्रमों में ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे जिससे सामाजिक समरसता, धार्मिक सहिष्णुता एवं राष्ट्रीय एकता के प्रति विपरीत प्रभाव पड़े।
4. आयोजक आयोजन स्थल की अनुमति स्वयं सम्बन्धित व्यक्ति जिसके स्वामित्व में स्थल हो, से प्राप्त करेंगे।
5. सार्वजनिक स्थलों पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया जायेगा। किसी सम्भावित दुर्घटना को रोकने हेतु पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करानी होगी। इसी प्रकार यातायात व्यवस्था व अन्य प्रकार की व्यवस्थाओं के संबंध में पुलिस विभाग से पूर्व में आयोजकों का स्वयं वार्ता करनी होगी तथा उनके निर्देशों का पालन करना होगा।
6. आयोजन के दौरान किसी वी0वी0आई0पी0 के आगमन पर कार्यकम स्थल की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सुरक्षा मानकों के अनुसार पुलिस के निर्देशन में स्वयं आयोजकों को समुचित व्यवस्था करनी होगी।
7. कोई अश्लील नृत्य व गायन का कार्यक्रम नहीं करेंगे तथा अश्लील पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं लगायेंगें। कार्यकम की समाप्ति के उपरान्त प्रयोग किये गये सार्वजनिक स्थल की साफ सफाई पूर्व की भांति स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही कार्यकम के दौरान की गयी किसी भी प्रकार की गन्दगी की स्वयं सफाई कराना सुनिश्चित करेंगे।
8. आयोजन स्थल पर नाइलॉन के पर्दे इत्यादि का प्रयोग न किया जाये। सूती पर्दों का प्रयोग किया जाये।
9. आयोजन स्थल पर किसी प्रकार की गैस भट्टियों व ज्वलनशील पदार्थों का प्रयोग न किया जाये।
10. यातायात व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस को सहयोग प्रदान करेंगे व वाहनों की पार्किंग आदि की समुचित व्यवस्था करेंगे।
11. आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार से यातायात में अवरोध उत्पन्न नहीं होना चाहिए।
12. सभा स्थल एवं आयोजन से संबंधित अन्य स्थानों पर आयोजन का संचालन इस प्रकार से किया जाये कि पास–पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा उत्पन्न न होने पाये।
13. विधि एवं व्यवस्था तथा शांति एवं सुरक्षा हेतु पर्याप्त पुलिस बल की नियमानुसार तैनाती की जायेगी।
14. पंडाल का निर्माण इस प्रकार किया जाये जिसमें आने व जाने के अलग–अलग मार्ग एवं पर्याप्त स्थान होना चाहिए तथा चारों दिशाओं में निकास की व्यवस्था हो।
15. आयोजन स्थल से बाहर भी पर्याप्त खुला स्थान सुरक्षा की दृष्टि से रखा जाये।
16. आयोजन स्थल पर चारों तरफ बाहर निकलने हेतु चौड़े रास्ते होने चाहिए तथा आपात स्थिति में अग्निशमन वाहन आने–जाने हेतु रास्ता खुला होना चाहिए।
17. आयोजन स्थल पर की जाने वाली बिजली फिटिंग के तारों के जोड़ ठीक प्रकार से टेप किये जाये व विद्युत वायर तिरपाल बल्लियों से पर्याप्त दूरी पर हों।
18. जनसभा आरम्भ होने की तिथि से पूर्व अग्निशमन व्यवस्था संतोषजनक होने एवं विद्युत सुरक्षा संतोषजनक होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र सम्बन्धित अधिकारियों से प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।
19. नियमानुसार देय देयों का भुगतान आयोजकों को नियमानुसार करना होगा तथा कार्यक्रम के दौरान सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक होगा।
20. जनरेटर रूम पर्याप्त दूरी एवं सुरक्षित स्थान पर हो, जिसके पास एक अदद डी0सी0पी0 फायर एक्सटिंग्यूसर की व्यवस्था की जाये एवं मेन स्वीच पर एम0सी0बी0 की व्यवस्था की जाये।

hup

21. आयोजक रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग नहीं करेंगे तथा ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग निर्धारित सीमा के अन्तर्गत किया जायेगा जिससे वृद्धों, बीमार, बच्चों एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई उत्पन्न न हो।

22. जनसभा/जुलूस/रैली का संचालन इस प्रकार किया जाये कि पास-पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न होने पायें।

23. जनसभा स्थल पर चारों कोनों में चार आपातकालीन निकासी द्वार होने आवश्यक हैं जिनकी चौड़ाई कम से कम 15 फीट और ऊँचाई 18 फीट होना आवश्यक होगा।

24. आयोजक यदि अस्थाई विद्युत संयोजन लेते हैं तो सहायक विद्युत निरीक्षक, उत्तराखण्ड शासन, रूड़की जोन रूड़की से प्राप्त अनापत्ति पत्र के उपरान्त ही विद्युत संयोजन निर्गत किया जा सकता है।

25. बिजली के तारों की ऊंचाई पर्याप्त रूप से हो। कोई भी तार एवं बल्ब शामियानें में स्पर्श न करे। वाईरिंग खींची हुई हो व ढीली न हो। तारों में कटिया का प्रयोग नहीं किया जायेगा। तारों के जोड़ अच्छी तरह टेपिंग हो, कोई तार खुली न हो।

26. पंडाल ऐसे सामग्री से बनाया जाये जो अग्नि के दृष्टिकोण से सभी प्रकार से सुरक्षित हो एवं अग्नि का प्रतिरोधक हो।

27. बांस-बल्लियों को पर्याप्त मजबूती से गाड़ा एवं बांधा जाये।

28. आयोजन स्थलों में अक्सर खाद्य एवं पेय पदार्थों के स्टाल भी लगाये जाते हैं, जिनमें गैस सिलेण्डर, स्टोव आदि काफी संख्या में लगाये जाते हैं। इन्हें मुख्य पांडाल से दूर लगाया जाये। इसमें प्रयुक्त होने वाले उपकरण उच्चस्थ विश्वसनीयता के हों तथा केवल व्यावसायिक (कॉमर्शियल) सिलेण्डरों का ही प्रयोग करेंगे। ऐसा न करने पर पण्डाल कदापि न लगाया जाये।

29. आयोजन स्थल पर आयोजकों द्वारा अनिवार्यतः फायर एक्सटिंग्यूसर, बालू से भरी बाल्टियॉं, बेलचे, फायर एक्स, प्राथमिक उपचार सामग्री उपलब्ध रखी जाये।

30. पंडाल विद्युत लाइन के नीचे न बनाया जाये। पंडाल की विद्युत वायरिंग पुख्ता हो। ज्वाइंट मजबूत व इन्सूलेटेड हों। गैस बत्ती पंडाल में कदापि न जलाई जाये। पंडाल के भीतर आग न जलाई जाये।

31. कुर्सियों के दस कतार के पश्चात आने-जाने का रास्ता छोड़ा जाये।

32. अस्थाई/स्थाई पण्डाल अग्निशमन गाड़ी के पंहुच में हो। पण्डाल आदि के भीतर क्षमता से अधिक लोग न हो। प्रत्येक निकासी से बैठने की दूरी 15 मीटर से अधिक न हो।

33. जूलूस/जनसभा स्थल में सम्मिलित होने वाले महानुभावगण के अनुसार मंच एवं सभा स्थल पर बैरेकेटिंग की व्यवस्था पुलिस अधिकारी के निर्देशानुसार उच्च सुरक्षा प्राप्त महानुभावगण के मानकों के अनुरूप स्थल पर किया जाये।

34. जूलूस/जनसभा स्थल पर मंच का निर्माण मंच पर बैठने वाले महानुभावगण की पूर्व निर्धारित संख्या के अनुसार सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए मजबूती से बनाया जाये तथा पूर्व निर्धारित संख्या से अतिरिक्त मंच पर बैठने की अनुमति कदापि न दी जाये। मंच पर बैठने वाले महानुभावगण की सूची रैली से पूर्व पुलिस अधिकारियों को उपलब्ध करा दी जाये।

35. जूलूस/आयोजन से संबंधित पोस्टर, बैनर एवं दिवाल लेखन का कार्य सार्वजनिक भवनों एवं सम्पत्तियों पर कदापि न किया जाय। प्राईवेट भवनों एवं सम्पत्तियों पर उससे संबंधित स्वामी से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करने उपरान्त पोस्टर, बैनर एवं दिवाल लेखन का कार्य किया जाये।

36. जूलूस/आयोजन स्थल पर सभा करने की अनुमति उसके स्वामी/प्रबंधक से पूर्व में ही प्राप्त कर ली जाये तथा उसकी प्रति कार्यालय को भी उपलब्ध करायी जाये।

37. सड़क मार्ग के आर-पार बनाये जाने वाले तोरण द्वारों के संबंध में रोड से संबंधित विभाग यथा राष्ट्रीय राजमार्ग, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग तथा संबंधित नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत से नियमानुसार अनुमति प्राप्त करने उपरान्त ही लगाया जाये।

38. लाउडस्पीकर या पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम का प्रयोग सार्वजनिक आकस्मिता को छोड़कर रात्रि (10.00 पी.एम. से 06.00 ए.एम के मध्य) में नहीं किया जायेगा। बन्द परिसर यथा आडिटोरियम, कान्फ्रेन्स रूम, सामुदायिक हाल एवं बैंक्वेट हाल में संचार हेतु किया जा सकता है।

39. सक्षम प्राधिकारी के लिखित अनुमति के बिना लाउडस्पीकर या पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम का प्रयोग किये जाने की दशा में, ऐसे लाउडस्पीकर, एम्प्लीफायर एवं अन्य उपकरण, की जब्ती की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

40. अधोलिखित क्षेत्रों में शोर स्तर को एम्बीएन्ट वायु गुणवत्ता मानक से अधिक कदापि नहीं बढ़ाया जायेगा।

क्षेत्र कोड	क्षेत्र का वर्गीकरण	डी बी (ए) लेक (स्मु) सीमा	
		दिन	रात्रि
A	औद्योगिक क्षेत्र	75	70
B	व्यापारिक क्षेत्र	65	55
C	आवासीय क्षेत्र	55	45
D	साइलेंस क्षेत्र	50	40

41. आयोजक को जुलूस निकालने से पूर्व जुलूस प्रारंभ स्थान, जुलूस मार्ग एवं जुलूस समाप्ति स्थल की सूचना अग्रिम रूप से पुलिस अधिकारियों को अवगत कराना होगा। जुलूस का संचालन इस प्रकार से किया जाये, जिससे यातायात में कोई बाधा उत्पन्न न हो। यदि जुलूस लंबा हो, तो उसे टुकड़ों में विभाजित किया जाये। चौराहों, तिराहों, दोराहों पर जुलूस का संचालन इस प्रकार से किया जाये कि यातायात के आवागमन में अवरोध घटित न हो तथा ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न न हो।

42. सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना कोई भी जनसभा/जूलूस/रैली इत्यादि का आयोजन कदापि नहीं किया जायेगा।

43. कोई भी राजनैतिक दल/अभ्यर्थी निर्वाचन प्रचार-प्रसार हेतु प्लास्टिक/पालिथीन निर्मित पोस्टरों, बैनरों इत्यादि का प्रयोग कदापि नहीं करेगा।

44. जनसभा/जुलूस/रैली/नुक्कड़ नाटक इत्यादि, जिसके लिए अनुमति ली जा रही है, उसमें हुए समस्त व्यय का विवरण संबंधित विधान सभा क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग अधिकारी, जिससे अनुमति प्राप्त की जा रही है, आयोजन समाप्ति के तत्काल पश्चात, प्रमाणित बिल/वाउचर्स प्रति सहित, जो अधिकृत व्यक्ति (संबंधित दल के मा0 अध्यक्ष/महामंत्री/सचिव या अन्य व्यक्ति, जो किसी दल विशेष से संबद्ध नहीं है) द्वारा प्रमाणित किया जायेगा, उपलब्ध कराया जायेगा तथा इसका विवरण पंजिका में भी दर्ज किया जायेगा।

45. आयोजक मा0 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श चुनाव आचार संहिता का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करेगा।

46. यह अनुमति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि जुलूस में एक जत्थे में 10 ही वाहन शामिल होंगे। यदि 10 से अधिक वाहन होते हैं तो प्रथम एवं दूसरे 10 वाहनों के जत्थे में कम से कम 200 मीटर की दूरी रखनी अनिवार्य होगी।

उपरोक्त का किसी भी प्रकार से उल्लंघन करने वाले पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम–1986 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने उपरांत स्थल का निरीक्षण अग्नि शमन अधिकारी, विद्युत विभाग एवं पुलिस अधिकारियों को करायें। तद्नुसार आयोजन के संबंध में आवष्यक कार्यवाही करें।

उपरोक्त आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन धारा 188 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

स्थानः–देहरादून।

दिनांकः– 23/01/2017

Lugi 23/01/17

(डा0 आर0 एस0 नेगी)
रिटर्निंग ऑफिसर,
विधान सभा क्षेत्र–17 सहसपुर
जनपद – देहरादून।

RETURNING OFFICER
17-SAHASPUR
ASSEMBLY CONSTITUENCY

कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी, विधान सभा क्षेत्र–17 सहसपुर, जनपद देहरादून।
संख्याः 1333-39/स0वि0नि0–2017/2016–17/दिनांकरू 23/1/17
प्रतिलिपिः– निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1– पुलिस अधीक्षक, नगर/ग्रामीण देहरादून।
2– श्री कैलाश चन्द्र पाण्डे, प्रभारी लेखा टीम, 17–सहसपुर।
2– उड़न दस्ता प्रभारी श्री प्रथम/द्वितीय/तृतीय 17-Sahaspur (D.Dun)
3– प्रभारी वीडियो निगरानी टीम, 17–सहसपुर, देहरादून।
3– क्षेत्राधिकारी पुलिस/प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली/थानाध्यक्ष सहसपुर को आयोजन के दौरान विधि एवं व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रेषित।

(डा0 आर0 एस0 नेगी)
रिटर्निंग ऑफिसर,
विधान सभा क्षेत्र–17 सहसपुर
जनपद – देहरादून।

RETURNING OFFICER
17-SAHASPUR
ASSEMBLY CONSTITUENCY

23/1/17

Received
23/01/2017
Darab Singh
Vill Badripur

रिपोर्ट थाना सहसपुर जनपद देहरादून

सेवा में,

श्रीमान रिटर्निंग आफीसर 17-सहसपुर विधानसभा महोदय,
जनपद देहरादून।

द्वाराः- उचित माध्यम,

विषयः- दिनांक 23/1/17 को श्री गौरव पुण्डीर निर्दलीय प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र 17-सहसपुर से नामाकन किये जाने के सम्बन्ध में अनुमति विषयक ।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि थाना सहसपुर पर निर्दलीय प्रत्याशी श्री गौरव पुण्डीर निर्दलीय प्रत्याशी के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।जो दिनांक 23/1/17 को समय 10.00 बजे से 02.00 बजे तक विधानसभा -17 सहसपुर से निर्दलीय प्रत्याशी पद नामाकन किया जाना प्रस्तावित है। नामाकन मे रेली में समर्थकों 300 के लगभग एवं 100 मोटर साईकिल व 30 गाडियों प्रयोग जो ग्राम सिंघनीवाला से कुल्हाल विकासनगर तक किया जाना अंकित है । निर्दलीय प्रत्याशी श्री गौरव पुण्डीर को निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनुमति प्रदान किये जाने की संस्तुति की जाती है।

1- उक्त आयोजन से किसी भी प्रकार से यातायात प्रभावित न हो।

2- सभा में 10 से अधिक वाहन CONVAY के रूप में एक साथ नहीं चलेगें तथा CONVAY के मध्य 200 मीटर का अन्तर हो।

3- मोटर साइकिल पर लगे झण्डे की लम्बाई 03 फिट से अधिक न हो।

4- आयोजन जहाँ तक सम्भव हो अवकाश के दिन आयोजित हो।

5- उक्त आयोजन में आम जनता का सुरक्षा व सुविधा का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाय।

6- सभा/आयोजन में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का कार्यक्रम में प्रयोग मा0 न्यायालय व भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अधीन किया जाय।

7- कार्यक्रम में जानवरों का प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

8- आय़ोजन के दौरान समर्थक केवल एक झण्डा 3 + 2 फीट का पूर्व अनुमति प्राप्त कर प्रयोग कर सकते हैं।

9- कार्यक्रम में यनिफार्म में स्कूली बच्चे शामिल न हो।

10- कार्यक्रम में बैनर का आकार किसी दशा में 6 + 4 से अधिक न हो। आयोजन/कार्यक्रम मे किसी धर्म विशेष की भावनाओं के ठेस न पहुँचे।

11- आयोजन के दौरान शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखे की पूर्णतः जिम्मेदारी आयोजक की होगी।

12- कार्यक्रम का आयोजन पूर्ण रूप से सौहदार्दपूर्ण वातावरण मे किया जाय। आय़ोजन के दौरान किसी वर्ग व्यक्ति जाति एवं धर्म विशेष के प्रति समाजिक आदि भावनाओं का ठेस पहुँचाने वाला वाला भड़काने एवं नारेबाजी न किये जाये।

13- अन्य सम्बन्धित से नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर ली जाय।

रिपोर्ट सेवा में सादर प्रेषित है।

(थानाध्यक्ष)
थाना सहसपुर
जनपद देहरादून

थानाध्यक्ष

कृ० आख्या दें।

[signature]

RETURNING OFFICER
17-SAHASPUR
ASSEMBLY CONSTITUENCY

[signature] 21/1/17

सेवा में

श्री मान रिटर्निंग ऑफिसर
सहसपुर दे० दून

महोदय जी

निवेदन है कि प्रार्थी दिनाँक 23-01-17 को अपना नामांकन पत्र सहसपुर विधान सभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जमा करना चाहता है। जिसके लिये प्रार्थी के साथ प्रस्तावक व समर्थक होंगे जिनकी संख्या लगभग 300 के आसपास हो सकती है। जिसका समय 10 बजे से 2 बजे तक होगा।

अतः महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी को रैली निकालने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करे।

[signature]

दिनाँक:- 21.01.17

प्रार्थी:- गौरव पुण्डीर S/o श्री रघुवीर पुंडीर
फोन नम्बर :- 88591000[illegible]
Add. 11 मुमका रोड, देवलोक कॉलोनी, दे०दून

महोदय: रैली में 100 बाइक तथा 30 गाड़ियों की अनुमति देने की कृपा करें।
तथा रैली ग्राम सिङ्घीवाला से विकासनगर [redacted] तक, विकासनगर से कुल्हाल तक की अनुमति प्रदान करें।

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

2 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001

फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551

फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 2503 /XXV–12(1–5)/2008 देहरादून : दिनांक 25 अक्टूबर, 2017

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
समस्त जिला निर्वाचन कार्यालय,
उत्तराखण्ड

विषयः– सूचना के अधिकार के अन्तर्गत चाही गयी सूचनाओं से संबंधित आवेदन पत्रों का हस्तान्तरण।

महोदया,

उपरोक्त विषयक भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 4/भा0नि0आ0/आर0टी0आई0 /क्षे0/पत्र/16/उ0अनु0–2/उत्तरा0/2017266 दिनांक 17 अक्टूबर, 2017 के साथ श्री नवरोज, एडवोकेट निवासी मकान नं0–26 व्योम प्रस्थ जीएमएस रोड़ कंवाली, देहरादून द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है, की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आवेदक द्वारा चाही गयी वांछित सूचना आपके कार्यालय के संबंधित है, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि उक्त सूचना **आज ही अपरान्हः 1.00** बजे तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें तदनुसार आज ही उक्त सूचना भारत निर्वाचन आयोग को उपलब्ध करवायी जा सकें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

B.S. Rawat
(बी0एस0रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

karki

प्राप्त - 23/10/17

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001.

4/ भा0 नि0 आ0/आर0टी0आई0/क्षे0/पत्र/16/उ0अनु0–2/उत्तरा0/2017/66 दिनांकः 17 अक्तुबर, 2017

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
देहरादून
उत्तराखण्ड ।

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आयोग में प्राप्त श्री नवरोज, ऐडवोकेट निवासी मकान नं0 26, व्योम प्रस्थ जीएमएस रोड़, कंवाली, देहरादून, उत्तराखण्ड द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम – 2005 के अन्तर्गत प्राप्त पत्र का अवलोकन करें।

आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना मे मद संख्या ए से डी तक आपके कार्यालय से संबंधित है अतः आपसे अनुरोध है कि मांगी गई सूचना 20 अक्तूबर 2017 तक भिजवा दें।

श्री [illegible] जी
उपरानुसार [illegible] संबंधित D.E.O को [illegible] करें।
[illegible]
24-10-17

भवदीय,

[signature]

(वीर सिंह)
अनुभाग अधिकारी

1208/RTI/17
26/09/2017

F.No. 4/RTI/161/UK-D/MS-II/2017
26/9/17

Dated:- 21 /09/2017

भारत निर्वाचन आयोग / Election Commission
34867
26 SEP 2017
प्राप्ति / RECEIVED
नई दिल्ली / New Delhi-110001

To,

The Public Information Officer,

The office of Election Commission of India,

New Delhi , India.

Subject:- seeking Information under the Right to Information Act,2005

Sir,

The applicant wants to seek the information under sec 6(1) of the Right to Information Act 2005.

General Elections for the legislative Assembly in the State of Uttarakhand were held in year 2017 , keeping in consideration this fact please provide the information.

A) The total Number of FIRs that were registered due to obstruction caused to general public and Traffic movement by the candidates and their Rally while going to file their nomination paper for the above mentioned election in Uttarakhand State.

B) Total number of bike Rallies that were permitted by the Election Commission/Officials in the above mentioned election in Uttarakhand State.

C) Total Number of bikes in a rally that were permitted in the above mentioned election in Uttarakhand State.

D) The Election Commission/ officials of Commission had the knowledge about the fact that the place for filing of nomination to contest election for constituencies at district Dehradun was near the biggest govt. Hospital of Dehradun I.e Doon Hospital.

E) Steps taken by Election Commission to end bike Rallies in election since 2015 for every election that is held in India.

MCC

F) Election Commission has taken any steps to bring into electronic/ E filing system / online filing of nomination by candidates for contesting election.

G) Any specific recommendation by any committee to bring E filing of nomination to the election Commission. If any do provide.

E PS

H) Please provide the file nothing's in movement of this RTI application and every aspect of this RTI application.

The applicant is paying an amount of Rs 10/- in the form of postal order no37F 892327 and is Further ready and willing to pay any amount if required to as per the provision of sec 7(3) of RTI Act,2005.

Thanking you.

Annexed with:-

Postal order of Rs 10/- no.37F 892327.

name and address of applicant

NAVRAJ
ADVOCATE

Navraj (Advocate)

R/o H.no .26 Vyom Prasth

GMS Road Kanwali,Dehradun

Uttarakhand 248001.

Email. navrajlaw@gmail.com.

E-Mail-dmcumdeouki@gmail.com
Phone no. 01374-222177

प्रेषक,

जिलाधिकारी एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तरकाशी।

सेवामें,

प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्याः 641 /25–42 (2)/2017 दिनांक 25 अक्टुवर, 2017

विषयः सूचना के अधिकार के अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त चाही गयी सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या 2503 दिनांक 25 अक्टूबर, 2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के क्रम में निवेदन करना है कि श्री नवरोज, एडवोकेट निवासी मकान नं0–26 व्योम प्रस्थ जीएमएस रोड़ कंवाली, देहरादून द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त वांछित सूचना बिन्दुवार तैयार कर संलग्न सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न–उक्तानुसार।

भवदीय,

Shah

लोक सूचना अधिकारी,
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तरकाशी।

Question	Answer
(A) The total Number of RIRs that were registered due to obstruction caused to general public and Traffic movement by the candidates and their Rally while going to file their nomination paper for the above mentioned election in Uttarakhand State.	Nil
(B) Total number of bike Rallies that were permitted by the Election commission/Officials in the above mentioned election in Uttarakhand State.	Nil
(C) Total Number of bikes in a rally that were permitted in the above mentioned election in Uttarakhand State.	Nil
(D) The Election Commission /Officials of Commission had the knowledge about the fact that place for filing of nomination to contest election for constituencies at district Dehradun was near the biggest govt. Hospital of Dehradun I.e Doon Hospital.	Nil
(E) Steps taken by Election Commission to end bike Rallies in election since 2015 for every election that is held in India.	Nil
(F) Election Commission has taken any steps to bring into electronic/ E filing system / online filing of nomination by candidates for contestion election.	Nil
(G) Any specific recommendation by any committee to bring E filing of nomination to the election Commission. If any do provide.	Nil
(H) Please provide the file nothing's in movement of this RTI application and every aspect of this RTI application.	Nil

Shah .10/2017

लोक सूचना अधिकारी,
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तरकाशी।

प्रेषक,

जिला निर्वाचन अधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

सेवा में,

प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड देहरादून।

संख्या– 1633/29-09 /2017 दिनांक 25 अक्टूबर, 2017

विषयः– **सूचना के अधिकार के अन्तर्गत चाही गई सूचनाओं से संबंधित आवेदन पत्रों का हस्तान्तरण।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2503/XXV-12(1-5)/2008 दिनांक 25 अक्टूबर, 2017 के द्वारा विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2017 से सम्बन्धित चाही गई वांछित सूचना बिन्दुवार तैयार कर निम्नानुसार प्रेषित है–

A) The total Number of FIRs that ware registered due to obstruction caused to general public and Traffic movement by the candidates and their Rally while going to file their nomitation paper for the above mentioned election in Uttarakhand State.	-Nil-
B) Total number of bike Rallies that were permitted by the Election Commission/Officials in the above mentioned election in Uttarakhand State.	-Nil-
C) Total number of bike in a rally that were permitted in the above mentioned election in Uttarakhand State.	-Nil-
D) The Election Commission/officials of Commission had the knowledge about the fact that the place for filing of nomination to contest election for constituencies at district Dehradun was near the biggest govt. Hospital of Dehradun i.e. Doon Hospital.	इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है।

भवदीय,

(शंकर राम)
लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

प्रेषक,

E-mail

लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल ।

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी/
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

संख्या–949/29–10/2016 दिनांक नई टिहरी 25 अक्टूबर, 2017

विषय– सूचना के अधिकार के अन्तर्गत चाही गई सूचना उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2503 दिनांक 25 अक्टूबर, 2017 के सन्दर्भ में निवेदन करते हुए यह कहना कि भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त ई–मेल के साथ श्री नवरोज ऐडवोकेट निवासी मकान नं0–26 व्योम प्रस्थ जीएमएस रोड कंवाली देहरादून का प्रार्थना पत्र जो सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक है। उक्त अनुरोध पत्र में चाही गई सूचना का विवरण इस कार्यालय से बिन्दुवार निम्नवत है:–

बिन्दु A– विधानसभा सामान्य निर्वाचन–2017 नामांकन प्रकिया के दौरान उम्मीदवारों द्वारा निकाली रैली के सम्बन्ध में आम जनता द्वारा कोई भी एफ0आई0आर0 दर्ज नही की गई है।

बिन्दु B– विधानसभा सामान्य निर्वाचन–2017 में इस जिले से बाइक रैली से सम्बन्धित सूचना शून्य है।

बिन्दु C– चाही गई सूचना इस जिले से शून्य है।

बिन्दु D – सूचना इस जिले से सम्बन्धित नहीं है।

लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी
टिहरी गढवाल।

पंजीकृत

संलग्नक–10
(अनुरोधकर्ता को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र)
कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (निर्वाचन), हरिद्वार।

पत्र सं0:– 2910 /25–14(सू.अ.अ.)/2017 दिनांक 25–10–2017

सेवा में,

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी,
का0–प्रमुख सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– **सूचना का अधिकार अधिनियम–2005–सूचना उपलब्ध कराने विषयक।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–2503 दिनांक 25 अक्टूबर, 2017 के साथ संलग्न श्री नवराज, एडवोकेट, R/O H.No. 26 Vyam Prasth GMS Road Kanwali, Dehradun. 248001 के पत्र दिनांक 21–09–2017 जो कार्यालय में दिनांक 25–10–2017 को प्राप्त हुआ है, के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत विधान सभा निर्वाचन–2017 से सम्बन्धित सूचना 04 बिन्दु पर चाही गई है।

उक्त पत्र के कम में बिन्दुवार सूचना निम्नतः प्रेषित की जा रही है।

A-The total Number of FIRs that were registered due to obstruction caused to general Public and Traffic movement by the candidates and their Rally while going to file their nomination paper for the above mentioned election in Uttarakhand State.	Nill
B-Total number of bike Rallies that were permitted by the Election Commission/Officials in the above mentioned election in Uttarakhand State.	Nill
C-Total Number of bikes in a rally that were permitted in the above mentioned election in Uttarakhand State.	Nill
D-The Election Commission/Officials of Commission had the khowledge about the fact that the place for filling of nomination to contest election for constituencies at district Dehradun was near the biggest gove. Hospital of Dehradun I.e Doon Hospital.	कार्यालय में धारित नहीं है।

उपलब्ध करायी जा रही सूचना से यदि आप सन्तुष्ट नहीं हैं तो प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में अपील दायर कर सकते हैं, जिनका नाम व पता निम्न है।

प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी का नाम व पता

अपर जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा.)/
उप जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

25/10/2017

(पी.बी.बुधलाकोटी),
लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।
दूरभाष नम्बर–01334–239942

Email ID- dmcumdeopwl@gmail.con
Fax/Phone- 01368-22221

//कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल//
संख्या 398 /29– 35 /2016 दिनांक 25 अक्टूबर, 2017

सेवा में,

प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषयः– **सूचना के अधिकार के अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त चाही गई सूचनाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक लोक सूचना अधिकारी मुख्य निर्वाचन कार्यालय उत्तराखण्ड़ देहरादून व पत्र संख्या 2503 /XXV-12 (1-5) /2008 दिनांक 25 अक्टूबर, 2017 के साथ संलग्न भारत निर्वाच अयोग के पत्र संख्या 4/भा0नि0आ0/आर0टी0आई0/क्षे0/पत्र/16/उ0अनु0–2/उत्तरा0/2017/6 दिनांक 17 अक्टूबर, 2017 क्रम में वांछित सूचना निम्नानुसार सुलभ संदर्भ हेतु प्रेषित है।

A.	The total no of FIRs that were registered due to obstruction caused to general public and Traffic movement by the candidateds and their Rally while going to file their nomination paper for the above mentioned election in this district .	Nil
B.	Total number of bike Rallies that were permitted by the Election Commission@Oficials in the above mentioned election in this district .	Nil
C.	Total number of bikes in a rally that were permitted in the above mentioned election in this district.	Nil
D.	The Election Commission/officials of Commission had the knowledge about the fact that the place for filling of nomination to contest election for constituencies at district Dehradun was near the biggest govt. Hospital of Dehradun I.e Doon Hospital	Information dose nc belong to thi district.

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी
पौड़ी गढ़वाल।

ई–मेल

प्रेषक,

लोक सूचना अधिकारी,
जिला निर्वाचन कार्यालय
पिथौरागढ़।

सेवा में,

प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

पत्रांक 1413 / उन्तीस–1(41) / 2017 दिनांक 25 अक्टूबर,, 2017

विषय– सूचना के अधिकार के अन्तर्गत चाही गयी सूचनाओं से संबंधित आवेदन पत्रों का हस्तान्तरण के संबंध में।

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2503 / XXV–12(1–5) / 2008 दिनांक 25 अक्टूबर, 2017 के संदर्भ में निवेदन कर अवगत कराना है कि उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा सूचना के अधिकार के अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त चाही गयी सूचनाओ का विवरण निम्नवत प्रेषित किया जा रहा है।

(A)The total Number of FIRS that Were registered due to obstruction caused to general public and traffic movement by the candidates and their Rally while going to file their nomination paper for the above mentioned election in Uttarakhand state- **NIL**

(B) Total number of bike rallies that were permitted by the Election Commission/Officials in the above mentioned Election in Uttarkhand State- **NIL**

(C) Total number of bike in a rally that were permitted in the above mentioned election in Uttarakhand State- **NIL**

(D) The Election Commission/officials of Commission had the knowledge about the fact that the place for filing of nomination to contest election for constituencies at district Deharadun was near the biggest govt . Hospital of Dehardun I.e Doon Hospital---

लोक सूचना अधिकारी /
सहायक ज़िला निर्वाचन अधिकारी
पिथौरागढ़।

पंजीकृत

संलग्नक 10
अनुरोध को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र
कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, बागेश्वर ।

पत्रांकः 1889 /29–51 (2017–2018) दिनांक 25 अक्टूबर, 2017

विषयः– सूचना के अधिकार के अन्तर्गत चाही गई सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

सेवा में,

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड, देहरादून ।

विषयः– सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अनुरोध पत्र के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 2503/XXV–12 (1–5)/2008 दिनांक 25 अक्टूबर, 2017 का संदर्भ में चाही गई सूचना निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है:–

Sl.No.	Point	Answar
A	The total Number of FIRs that were registered due to obstruction caused to general public and traffic movement by the candidates and their Rally while going to file their nomination paper for the above mentioned election in Uttarakhand State.	Nill
B	Total number of bike Rallies that were permitted by the Election Commission/ Officials in the above mentioned election in Uttarakhand State.	Nill
C	Total Number of bikes in a rally that were permitted in the above mentioned election in Uttrakhand State.	Nill
D	The Election Commission/officials of Commission had the knowledge about the fact that the place for filling of nomination to contest election for constituencies at district Dehradun was near the biggest govt. Hospital of Dehradun I.e Doon Hospital.	Nill

भवदीय,

लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
बागेश्वर ।

BR duct/RTI

प्रेषक,

लोक सूचना अधिकारी,
जिला निर्वाचन कार्यालय,
अल्मोड़ा ।

सेवा में,

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड, देहरादून ।

पत्र संख्याः– 1661 /29–सूचना का अधिकार/2017 दिनांक 25 अक्टूबर, 2017

विषयः– सूचना के अधिकार के अन्तर्गत चाही गयी सूचना का प्रेषण ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांकः–2503/xxv–12(1–5)/2008 दिनांक 25 अक्टूबर, 2017 के साथ संलग्न भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 4/भा0नि0आ0/आर0टी0आई0/क्षे0/पत्र/16/ उ0अनु0–2/2017/66 दिनांक 17 अक्टूबर, 2017 के साथ संलग्न श्री नवरोज, एडवोकेट निवासी मकान नं0–26 व्योम प्रस्थ जीएमएस रोड कंवाली, देहरादून द्वारा चाही गई वांछित सूचना निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है ।

बिन्दु संख्याः– A कोई नही ।
बिन्दु संख्याः– B कोई नही ।
बिन्दु संख्याः– C कोई नही ।
बिन्दु संख्याः– D कोई नही ।

अतः उक्तानुसार वांछित सूचना सादर प्रेषित है ।

भवदीय,

लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
अल्मोड़ा ।

ई–मेल/फैक्स/पंजीकृत।

प्रेषक,

जिला निर्वाचन अधिकारी,
चम्पावत।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

पत्रांक : 392/29–11(सू0अ0)/2017 दिनांक : 25 अक्टूबर, 2017.

विषय :– **सूचना के अधिकार के अन्तर्गत चाही गयी सूचनाओं से संबंधित आवेदन पत्रों का हस्तान्तरण।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्रांक–2503/XXV-12(1-5)/2008 दिनांक 25 अक्टूबर, 2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त पत्र में निर्गत निर्देशों के अनुपालन में वांछित सूचना निम्नानुसार सादर प्रेषित है :–

Sl No.	Point	Answer
A)	The total Number of FIRS that were registered due to obstruction caused to general public and Traffic movement by the candidates and their Rally while going to file their nomination paper for the above mentioned election in Uttarakhand State.	Nill
B)	Total number of bike Rallies that were permitted by the Election Commission/ Officials in the above mentioned election in Uttarakhand State.	Nill
C)	Total Number of bikes in a rally that were permitted in the above mentioned election in Uttarakhand State.	Nill
D)	The Election Commission/ officials of Commission had the knowledge about the fact that the place for filing of nomination to contest election for constituencies at district Dehradun was near the biggest govt. Hospital of Dehradun I.e Doon Hospital.	Nill

भवदीय,

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
चम्पावत।

प्रेषक,

जिला निर्वाचन अधिकारी
नैनीताल।

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी एवं
अनुभाग अधिकारी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पंत्राक–695 /29– (2017–2018) दिनांक 25 अक्टूबर, 2017

विषय– **सूचना के अधिकार के अन्तर्गत चाही गयी सूचनाओं का प्रेषण।**

महादेय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2503/XXV-12(1-5)/2008 दिनांक 25, अक्टूबर 2017 के अनुपालन में सूचना अधिकार के अन्तर्गत चाही गई वांछित सूचना निर्धारित प्रारूप में तैयार कर निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है।

A. The total Number of FIRs that were registered due to obstruction caused to general public and Traffic movement by the candidates and their Rally while going to file their nomination paper for the above mentioned election in uttarakhand State.	Nill
B. Total number of bike Rallies that were permitted by the Election Commission/Officials in the above mentioned election in Uttarakhand State.	निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता के दिशा निर्देशों के अनुसार ही विभिन्न स्तरों पर रैली आदि की अनुमति जारी की गयी जहां तक एक रैली में कुल बाइकों की संख्या का प्रश्न है, इस प्रकार की सूचना धारित नही है।
C. Total Number of bikes in a rally that were permitted in the above mentioned election in Uttarakhand State.	
D. The Election Commission/officials of Commission had the knowledge about the fact that the place for filing of nomination to contest election for constituencies at district Dehradun was near the biggest govt. Hospital of Dehradun i.e Doon Hospital.	जनपद देहरादून से संबंधित है।

भवदीय

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी
नैनीताल।

भारत निर्वाचन आयोग

<u>निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001.</u>

4/ भा0 नि0 आ0/आर0टी0आई0/क्षे0/पत्र/16/उ0अनु0–2/उत्तरा0/2017 **दिनांकः 17 अक्तुबर, 2017**

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
देहरादून
उत्तराखण्ड ।

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आयोग में प्राप्त श्री नवरोज, ऐडवोकेट निवासी मकान नं0 26, व्योम प्रस्थ जीएमएस रोड़, कंवाली, देहरादून, उत्तराखण्ड द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम – 2005 के अन्तर्गत प्राप्त पत्र का अवलोकन करें।

आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना मे मद संख्या ए से डी तक आपके कार्यालय से संबंधित है अतः आपसे अनुरोध है कि मांगी गई सूचना 20 अक्तूबर 2017 तक भिजवा दें।

S.O(R)/PIO

भवदीय,

श्री कार्की जी
कृपया संलग्न सूचना DEO देहरादून
17/10/17 संबंधित समस्त लो. सू. अ. जिला निर्वाचन
ACEO कार्यालय उत्तराखण्ड को हस्तान्तरित करें.

B.S. Rawat
12 Oct 2017
P.I.O.

(वीर सिंह)
अनुभाग अधिकारी

Dated:- 21 /09/2017

To,

The Public Information Officer,

The office of Election Commission of India,

New Delhi , India.

Subject:- seeking Information under the Right to Information Act,2005

Sir,

The applicant wants to seek the information under sec 6(1) of the Right to Information Act 2005.

General Elections for the legislative Assembly in the State of Uttarakhand were held in year 2017 , keeping in consideration this fact please provide the information.

A) The total Number of FIRs that were registered due to obstruction caused to general public and Traffic movement by the candidates and their Rally while going to file their nomination paper for the above mentioned election in Uttarakhand State.

B) Total number of bike Rallies that were permitted by the Election Commission/Officials in the above mentioned election in Uttarakhand State.

C) Total Number of bikes in a rally that were permitted in the above mentioned election in Uttarakhand State.

D) The Election Commission/ officials of Commission had the knowledge about the fact that the place for filing of nomination to contest election for constituencies at district Dehradun was near the biggest govt. Hospital of Dehradun I.e Doon Hospital.

E) Steps taken by Election Commission to end bike Rallies in election since 2015 for every election that is held in India. MCC

F) Election Commission has taken any steps to bring into electronic/ E filing system / online filing of nomination by candidates for contesting election.

G) Any specific recommendation by any committee to bring E filing of nomination to the election Commission. If any do provide. EPS

H) Please provide the file nothing's in movement of this RTI application and every aspect of this RTI application.

The applicant is paying an amount of Rs 10/- in the form of postal order no37F 892327 and is Further ready and willing to pay any amount if required to as per the provision of sec 7(3) of RTI Act,2005.

Thanking you.

Annexed with:-

Postal order of Rs 10/- no.37F 892327.

name and address of applicant

NAVRAJ
ADVOCATE

Navraj (Advocate)

R/o H.no .26 Vyom Prasth

GMS Road Kanwali,Dehradun

Uttarakhand 248001.

Email. navrajlaw@gmail.com.